22.5.18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बरडोद पर पेश। निर्णय अलग से लिखकर जा कर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रेकार्ड हो।

22/5/18

अमरचन्द

जगराम

[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला–भीलवाड़ा

पीठसीन अधिकारी:–रामावतार मीणा (आर0ए0एस0) न्याय आपके द्वार 2018 के कार्य बरड़ोद

मुकदमा संख्या:–32/18

1.–श्री अमरचन्द पिता ऊँकार गाडरी नि. बरडोद

2.–

—प्रार्थीगण

बनाम

1.–श्री बरदा पिता रामा माली नि. बरडोद

2.–" भगवती पिता रामेश्वर पुरोहित —"—

3.–" भगवानलाल पिता धन्ना चमार —"—

4 " रामा पिता धन्ना चमार —"—

5 " भूरा पिता गिरधारी कुम्हार —"—

6 " शंकर पिता भोला ब्राह्मण —"—

—विपक्षीगण

— P.T.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:–22.5.18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बरडोद पटवार हल्का बरडोद तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 853/2, 854/1, 1132, 1134/1, 1135/1, 1140 कुल किता 6 रकबा 08 बीघा 00 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थता पत्र इस न्यायालय में दिनांक 7.5.18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंध्दान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बरडोद पटवार ह0 बरडोद तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 853/2, 854/1, 1132, 1134/1, 1135/1, 1140, कुल किता 6 रकबा 8 बीघा 0 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बरडोद को 700/–रू0 (अक्षरे– सात सौ रुपया मात्र)

..................................)

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

22.5.18

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़

प्रतिलिपिः– तहसीलदार, हमीरगढ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़

7. श्री बंशीलाल पिता नन्दराम ब्राह्मण नि. बरडोद —।—
8. " मॉंगू पिता छोगा चमार —।।—
9 " देवीसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत —।—
10 " मोहब्बतसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत —।—
11 " तहसीलदार हमीरगढ